न्यायालयः अपर जिला न्यायाधीश, न्याय कक्ष सं0 2, बुलन्दशहर।

प्रकीर्ण व्यवहार वाद सं0ः 1393 सन 2019
निष्पादन वाद सं0ः 03 सन 2009
(संदर्भ वाद सं0ः 76 सन 1989)

राजेश कुमार आदि..............................**बनाम**..उ0प्र0 राज्य

आदेश

आवेदक–डिक्रीदारान राजेश कुमार पुत्र सुरेश पाल सिंह व गिरीशपाल सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह, निवासीगण नया बाँस चाँदपुर, परगना बरन, तहसील व जिला बुलन्दशहर द्वारा 4.सी2 धन वापिसी प्रार्थनापत्र निष्पादन वाद सं0 03 सन 2009 (संदर्भ वाद सं0 76 सन 1989 श्रीमती पाली उर्फ गंगादेई बादहू सुनील तोमर आदि बनाम उ0प्र0 राज्य) में अर्जन निकाय अधिशासी अभियन्ता, मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड–19, अलीगढ़, वर्तमान खण्ड 10, बुलन्दशहर द्वारा जमा करायी गयी डिक्रीटल धनराशि अंकन 28,73,734–00 रु0 में से अपने 15 प्रतिशत हिस्से की धनराशि अंकन 4,31,060–00 रू0 का वाउचर उनके पक्ष में निर्गत किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थनापत्र के समर्थन में आवेदकगण द्वारा स्वयं के शपथपत्र प्रस्तुत किये गये हैं। आवेदकगण की पहचान विद्वान अधिवक्ता श्री टी0पी0 सिंह द्वारा की गयी है, जिनका वकालतनामा प्रार्थनापत्र के साथ पत्रावली पर दाखिल किया गया है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि संदर्भ वाद सं0 76 सन 1989 में एवार्ड पारित होने के पश्चात मूल डिक्रीदारान श्रीमती पाली उर्फ गंगादेई व श्रीमती प्रेमवती द्वारा अपना सम्पूर्ण भाग डिक्री विक्रय प्रलेख कागज सं0 10.ई.सी.2 व 19.ई.सी.2 द्वारा दि0 22.08.2006 को 85 प्रतिशत सुनील तोमर को तथा 15 प्रतिशत विजयपाल सिंह को विक्रय कर दिया गया। तत्पश्चात विजयपाल सिंह द्वारा डिक्री विक्रय विलेख कागज सं0 19.ई.सी2 के द्वारा अपना 15 प्रतिशत भाग दिनांक 09.02.2012 को आवेदकगण राजेश कुमार व गिरीशपाल सिंह के पक्ष में विक्रय कर दिया गया है, जिसके आधार पर आवेदकगण को न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.02.2012 के आलोक में विजयपाल सिंह के स्थान पर पक्षकार बनाया गया है।

निष्पादन वाद की पत्रावली पर उपलब्ध एस0एल0ए0ओ0 के गणना चार्ट का0सं0 41.ई.सी.2 व डिक्रीदार के प्रार्थनापत्र के अनुसार आवेदक–डिक्रीदारान राजेश कुमार व गिरीशपाल सिंह की कुल धनराशि अंकन 4,31,060–00 रू0 मदयून की ओर शेष है।

मुन्सरिम–रीडर की आख्या के अनुसार न्यायालय द्वारा पारित एवार्ड दिनांकित 23.01.2009 के अनुसार निष्पादन वाद संख्या 03 सन 2009 में जमा धनराशि को प्राप्त करने हेतु आवेदक–डिक्रीदारान राजेश कुमार व गिरीशपाल सिंह ने यह वाउचर प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है। निष्पादन वाद की पत्रावली पर अर्जन निकाय द्वारा प्रस्तुत गणना चार्ट के अनुसार आवेदक–डिक्रीदारान की कुल धनराशि अंकन 4,78,956–00 रु0 होती है, जिसमें से अर्जन निकाय द्वारा 47,896–00 रूपये आयकर कटौती किये जाने के पश्चात शुद्ध धनराशि 4,31,060–00 रूपये जमा की गयी है, जिससे सम्बन्धित छाया प्रति चालान फार्म कागज सं0 43.ई.सी.2 दिनांकित 11.04.2018 पत्रावली पर उपलब्ध है। धनराशि जमा होने के पश्चात दिनांक 19.04. 2018 को यह निष्पादन वाद पूर्ण संतुष्टि में निस्तारित किया गया है। वाउचर

प्रार्थना पत्र पर दिया गया नाम पता पत्रावली के अनुसार सही है। पत्रावली पर अपीलीय न्यायालय का कोई स्थगन आदेश आज की तिथि तक नहीं है।

डिप्टी नाजिर की आख्या के अनुसार प्रार्थना पत्र वाउचर के कालम संख्या 5 ता 7 की पूर्ति सही है। न्यायालय द्वितीय अपर जिला जज, बुलन्दशहर के खाते में इजराय संख्या 03 सन 2009 (एल0ए0आर0 सं0 76/1989) श्रीमती पाली उर्फ गंगादेई बनाम उ0प्र0 राज्य के वाद में 28,73,734—00 रूपये का जमा होना पाया जाता है, जो खर्च, कुर्क व लैप्स नहीं हुआ है।

डिक्रीदार सुनील तोमर द्वारा अपना 85 प्रतिशत भाग वाउचर प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करके प्राप्त किया जा चुका है।

उपरोक्त आख्याओं के आधार पर मेरे द्वारा पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। न्यायालय के मत में आवेदक—डिक्रीदारान अपने हिस्से की प्रतिकर धनराशि उठाने के अधिकारी हैं। गणना चार्ट कागज संख्या 41.ई.सी.2 के अनुसार अर्जन निकाय द्वारा 47,896—00 रूपये आयकर की कटौती करने के पश्चात, शुद्ध धनराशि 4,31,060—00 रूपये जमा की गयी है। ऐसी स्थिति में आवेदक—डिक्रीदारान राजेश कुमार व गिरीशपाल सिंह के पक्ष में निम्नवत धनराशि का वाउचर निर्गत किया जा सकता है।

आदेश

तदनुसार धन वापसी प्रार्थनापत्र का0सं0 4.सी2 एतद्द्वारा स्वीकार किया जाता है। आवेदक—डिक्रीदारान राजेश कुमार व गिरीशपाल सिंह से अन्डरटेकिंग लेने के पश्चात निम्न वर्णित धनराशि उनके बचत खाते में ई—पेमेन्ट के द्वारा जमा कराये जाने हेतु वाउचर निर्गत किया जाये:—

क्रम	नाम आवेदक	धनराशि	खाता संख्या	बैंक का नाम	IFSC CODE
1	राजेश कुमार	अंकन 2,15,530—00 रु0 (दो लाख पन्द्रह हजार पांच सौ तीस रूपये मात्र)	33840814907	भारतीय स्टेट बैंक, शाखा विकास भवन, बुलन्दशहर।	SBIN0016353
1	गिरीशपाल सिंह	अंकन 2,15,530—00 रु0 (दो लाख पन्द्रह हजार पांच सौ तीस रूपये मात्र)	50190010741615	बन्धन बैंक, शाखा बुलन्दशहर।	BDBL0001336

दिनांकः 20.11.2019

(विकास कुमार प्रथम)
अपर जिला न्यायाधीश,
न्याय कक्ष सं0 2, बुलन्दशहर।

प्रेषक,

विकास कुमार प्रथम,
अपर जिला न्यायाधीश,
न्याय कक्ष सं0 2, बुलन्दशहर।

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी,
लेखा अनुभाग, जनपद न्यायालय,
बुलन्दशहर।

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि निष्पादन वाद सं0 3 सन 2009 (संदर्भ वाद सं0 76 सन 1989) श्रीमती पाली उर्फ गंगादेई आदि बादहू सुनील तोमर आदि बनाम उ0प्र0 राज्य तथा अन्य में अर्जन निकाय अधिशासी अभियन्ता, मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड–19, अलीगढ़, वर्तमान खण्ड–10, बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में जमा करायी गयी डिक्रीटल धनराशि अंकन 28,73,734–00 रू0, जो लैप्स, खर्च व कुर्क नहीं हुई हैं, में से 15 प्रतिशत धनराशि अंकन 4,31,060–00 रू0 को आवेदक–डिक्रीदारान राजेश कुमार व गिरीशपाल सिंह, अन्डरटेकिंग दाखिल करने के उपरान्त उठाने के अधिकारी हैं। मुन्सरिम–रीडर की आख्या एवं गणना चार्ट के अनुसार अर्जन निकाय द्वारा उक्त धनराशि आयकर की कटौती करने के उपरान्त न्यायालय में जमा की गयी है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त निष्पादन वाद में विपक्षी मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड–19, अलीगढ़, वर्तमान खण्ड–10, बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में जमा करायी गयी कुल डिक्रीटल धनराशि अंकन 4,31,060–00 रू0 का वाउचर प्रार्थी–डिक्रीदारान राजेश कुमार व गिरीशपाल सिंह के पक्ष में निम्नवर्णित तालिका के अनुसार उसके खाते में ई–पेमेन्ट के द्वारा भुगतान कराने की कृपा करें:–

क्रम	नाम आवेदक	धनराशि	खाता संख्या	बैंक का नाम	IFSC CODE
1	राजेश कुमार	अंकन 2,15,530–00 रु0 (दो लाख पन्द्रह हजार पांच सौ तीस रूपये मात्र)	33840814907	भारतीय स्टेट बैंक, शाखा विकास भवन, बुलन्दशहर।	SBIN0016353
1	गिरीशपाल सिंह	अंकन 2,15,530–00 रु0 (दो लाख पन्द्रह हजार पांच सौ तीस रूपये मात्र)	50190010741615	बन्धन बैंक, शाखा बुलन्दशहर।	BDBL0001336

दिनांकः 20.11.2019

(विकास कुमार प्रथम)
अपर जिला न्यायाधीश,
न्याय कक्ष सं0 2, बुलन्दशहर।

संलग्नकः–

1. प्रतिलिपि आदेश दिनांकित 22.11.2019.
2. मूल वाऊचर प्रार्थनापत्र।
3. वाउचर प्रार्थनापत्र की छाया प्रति।
4. छाया प्रति बैंक पास बुक ।
5. छाया प्रति पहचान पत्र।